

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक 308 /जि0रा0, दिनांक-02 /03/2013

प्रेषक,

वरीय उप समाहर्ता,
जिला राजस्व प्रशाखा,
-सह-
लोक सूचना पदाधिकारी,
किशनगंज।

सेवा में,

जिला प्रबंधक आई.टी.,
किशनगंज।

विषय ::

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी सूचना किशनगंज जिला की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आवेदक श्री हरिनारायण जायसवाल, बड़ी बाजार, लाल कोठी-II जिला मुंगेर को इस कार्यालय का पत्रांक-1715, दिनांक-08.12.2012 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी सूचना की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुरोध है कि संलग्न सामग्री को किशनगंज जिला के वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करते हुए अनुपालन की सूचना दी जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वरीय उप समाहर्ता,
जिला राजस्व प्रशाखा,
-सह-
लोक सूचना पदाधिकारी,
किशनगंज।

प्रपत्र 'घ'
(नियम 4 (1) देखें)
आवेदन को सूचना उपलब्ध कराना

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी-सह
बरीय उप समाहर्ता,
जिला राजस्व प्रशाखा
किशनगंज।

संख्या : 1115

तिथि : 08/12/12

सेवा में,

श्री हरि नारायण जायसवाल
पिता - स्व0 शंभूनाथ जायसवाल,
बड़ी बाजार, लाल कोठी-II
जिला- मुंगेर।

विषय ::
संदर्भ ::

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।
अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का पत्र संख्या-816(6)/रा0, दिनांक-21.08.2012

महाशय,

उक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त आपके आवेदन के आलोक में वांछित सूचना निम्नरूपेण उपलब्ध कराया जाता है:-

- 1. "किशनगंज जिलान्तर्गत खास महाल की भूमि नहीं है"।

सूचनार्थ प्रेषित।

By Remy

विश्वासभाजत्र,

लोक सूचना पदाधिकारी-सह
बरीय उप समाहर्ता,
जिला राजस्व प्रशाखा
किशनगंज।

ज्ञापांक 1115/जि0रा0, दिनांक 08/12/2012

प्रतिलिपि :: अवर सचिव सह-लोक सूचना पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-1119(6)/रा0, दिनांक-26.11.2012 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

लोक सूचना पदाधिकारी-सह
बरीय उप समाहर्ता,
जिला राजस्व प्रशाखा
किशनगंज।